



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-18/2018- 150 दिनांक : 11-02-2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ साहेबगंज वन प्रमण्डल,
साहेबगंज/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/
सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण), हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब तक तथा हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिमी तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) के लिए वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु कुल **रु0 140.270 लाख (एक करोड़ चालीस लाख सताईस हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-31/2018-51/स्वी0 व0प0 दिनांक-28.01.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-31/2018-105/आ0 व0प0 दिनांक 31.01.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-59 अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 140.270 लाख (एक करोड़ चालीस लाख सताईस हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	46.699
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	93.571
कुल :-		140.27

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पॉच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।



13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. जिन वन प्रमण्डलों से स्थल विवरणी अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्थल विवरणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर एवं संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि व्यय करेंगे। अन्य सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। योजना के कार्यान्वयन से पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

15. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

16. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी, गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-18/2018- 150

दिनांक- 11-02-2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / दुमका / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / दुमका / जमशेदपुर / एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-18/2018- 150

दिनांक- 11-02-2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची / साहेबगंज / पाकुड़ / दुमका / सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 से में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) का अग्रिम कार्य का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 237.38 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	500.00	0.534	11.144	11.678
योग :-		500.00	0.534	11.144	11.678

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिमी तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) का अग्रिम-सह-समापन कार्य का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 237.38 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	700.00	3.905	16.746	20.651
योग :-		700.00	3.905	16.746	20.651
सकल योग :-		1200.00	4.439	27.890	32.329

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निकासी
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 237.38 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				384175.80	597105.40	981281.20
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	3.00	30.00	11.525	17.913	29.438
2	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	2.00	20.00	7.684	11.942	19.626
3	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	4.00	40.00	15.367	23.884	39.251
4	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	2.00	20.00	7.684	11.942	19.626
		11.00	110.00	42.260	65.681	107.941

प्रधान मुख्य वृक्ष संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- पथतट/नदी तट/संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा-गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

स्थल का नाम :-

हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिम

1. लोहा गैबियन का आकार 5'x2'x2'

पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०

3. मजदूरी दर - 237.38

2 स्पेंसिंग-
237.38

पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

गैबियन की सं०

700

क्र.सं.	कार्य का विवरणी	प्रति गैबियन		मजदूरी		700		गैबियन
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय रु० में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम-सह-समापन कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38								
1	घेरान कार्य							
IA	लोहे का गोलाकार गैबियन (दो भागों में खुलने वाला) साइज 6' x 9" लम्बाई व्यास 2' तीन सेन्ट्रल मिलर एवं तीन सर्पेट मिलर तथा 3 गोलाकार पत्ती (पत्ती साइज 20mmx5mm)							
IB	M.S. वायर मैस 5'.0"x6'x0' = 30 वर्ग फिट (12 गेज साइज 1"x2")	प्रति गैबियन	0.20	47.48	1870.00	33233.20	1309000.00	1342233.20
IC	M.S. सीट for बॉर्ड 6"x18"x18 गेज							
ID	नट-बोल्ट आदि 6 नं०							
IE	प्राइमर एवं पेंट (पीला)							
IF	लोह गैबियन पर 18% GST				336.60		235620.00	235620.00
2	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 9"x6"x6" आकार के 3 गढ़ों को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढलाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	35.61	22.25	24924.90	15575.00	40499.90
3	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 1.5'x1.5'x1.5' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.10	23.74	0.00	16616.60	0.00	16616.60
4	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढलाई सहित (पौधों का साइज 6 फीट से 8 फीट)	प्रति गैबियन	0.00	0.00	85.00	0.00	59500.00	59500.00
5	गड्ढे में ढालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	35.61	22.00	24924.90	15400.00	40324.90
6	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	23.74	2.00	16616.60	1400.00	18016.60
7	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम - 5ग्रा० युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय- 10ग्रा० युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय- 5ग्रा० युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगाने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	35.61	5.00	24924.90	3500.00	28424.90
8	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	1.00	237.38	27.50	166166.00	19250.00	185416.00
9	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	118.69	0.00	83083.00	0.00	83083.00
10	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग		0.00	0.00	22.00	0.00	15400.00	15400.00
	योग-		2.35	557.84	2392.35	390490.10	1674645.00	2065135.10

(B) वित्तीय वर्ष 2019-20 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 272.99 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018-19 को आधार मानते हुए								
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम - 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय- 10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय- 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	40.95	5.00	28663.95	3500.00	32163.95
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	136.50	5.00	95546.50	3500.00	99046.50
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	136.50	0.00	95546.50	0.00	95546.50
योग-			1.15	313.94	10.00	219756.95	7000.00	226756.95
(C) वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 313.94 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार मानते हुए								
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम - 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय- 10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय- 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	47.09	5.00	32963.70	3500.00	36463.70
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	156.97	5.00	109879.00	3500.00	113379.00
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	156.97	0.00	109879.00	0.00	109879.00
योग-			1.15	361.03	10.00	252721.70	7000.00	259721.70
कुल योग-			4.65	1232.81	2412.35	862968.75	1688645.00	2551613.75
नोट :- प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं0 - 15 झापांक 581 दिनांक 21.04.2016 के आधार पर सामग्री मद में 10% वृद्धि के साथ प्राक्कलन 2018-19 के लिए							Grand Total	2551613.75
							Or Say	2551600.00

रूपये (पच्चीस लाख एकावन हजार छः सौ) मात्र

सारांश	मजदूरी	सामग्री	कुल
अग्रिम -सह- समापन कार्य 2018-19	390490.10	1674645.00	2065135.10
सम्पोषण द्वितीय वर्ष 2019-20	219756.95	7000.00	226756.95
सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2020-21	252721.70	7000.00	259721.70
कुल योग :-	862968.75	1688645.00	2551613.75
	या		2551600.00

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- पथतट/नदी तट/संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा-गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

स्थल का नाम :-

हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब

1. लोहा गैबियन का आकार 5'x2'x2'

पक्कत से पक्कत की दूरी - 3 मी०

3. मजदूरी दर - 237.38

2 स्पेंसिंग- 237.38

पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

गैबियन की सं० 500

क्र.सं.	कार्य का विवरणी	प्रति गैबियन		मजदूरी		500		गैबियन
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय रु० में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38								
1	घेरान कार्य							
IA	लोहे का गोलाकार गैबियन (दो भागों में खुलने वाला) साईज 6' x 9" लम्बाई व्यास 2' तीन सेन्द्रल पिलर एवं तीन सर्पोट पिलर तथा 3 गोलाकार पत्ती (पत्ती साईज 20mmx5mm)							
IB	M.S. वायर मैस 5'0"x6"x0' = 30 वर्ग फिट (12 गेज साइज 1"x2")	प्रति गैबियन	0.20	47.48	1870.00	23738.00	935000.00	958738.00
IC	M.S. सीट for बॉर्ड 6"x18"x18 गेज							
ID	नट-बोल्ट आदि 6 नं०							
IE	प्राइमर एवं पेंट (पीला)							
IF	लौह गैबियन पर 18% GST				336.60		168300.00	168300.00
2	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 9"x6"x6" आकार के 3 गड्ढे को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढलाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	35.61	22.25	17803.50	11125.00	28928.50
3	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 1.5'x1.5'x1.5' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.10	23.74	0.00	11869.00	0.00	11869.00
	योग-		0.45	106.82	2228.85	53410.50	1114425.00	1167835.50
(B) वित्तीय वर्ष 2019-20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 272.99 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018-19 को आधार मानते हुए								
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित (पौधों का साईज 6 फीट से 8 फीट)	प्रति गैबियन	0.00	0.00	85.00	0.00	42500.00	42500.00
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	40.95	22.00	20474.25	11000.00	31474.25
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	27.30	2.00	13649.50	1000.00	14649.50
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम - 5ग्रा० युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय- 10ग्रा० युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय- 5ग्रा० युरिया, 5 ग्रा० कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	40.95	5	20474.25	2500.00	22974.25
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	1.00	272.99	27.50	136495.00	13750.00	150245.00
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	136.50	0.00	68247.50	0.00	68247.50
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग		0.00	0.00	22.00	0.00	11000.00	11000.00
	योग-		1.90	518.68	163.50	259340.50	81750.00	341090.50

(C) वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 313.94 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार मानते हुए								
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम - 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय- 10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय- 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	47.09	5.00	23545.50	2500.00	26045.50
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	156.97	5.00	78485.00	2500.00	80985.00
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	156.97	0.00	78485.00	0.00	78485.00
योग-			1.15	361.03	10.00	180515.50	5000.00	185515.50
(D) वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 361.03 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए								
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम - 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय- 10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय- 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	54.15	5.00	27077.25	2500.00	29577.25
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	180.515	5.00	90257.50	2500.00	92757.50
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	180.515	0.00	90257.50	0.00	90257.50
योग-			1.15	415.18	10.00	207592.25	5000.00	212592.25
कुल योग-			4.65	1401.72	2412.35	700858.75	1206175.00	1907033.75
नोट :- प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची के कार्यालय आदेश सं० - 15 ज्ञापांक 581 दिनांक 21.04.2016 के आधार पर सामग्री मद में 10% वृद्धि के साथ प्राक्कलन 2018-19 के लिए							Grand Total	1907033.75
							Or Say	1907000.00

रूपये (उन्नीस लाख सात हजार) मात्र

सारांश	मजदूरी	सामग्री	कुल
अग्रिम कार्य 2018-19	53410.50	1114425.00	1167835.50
समापन कार्य द्वितीय वर्ष 2019-20	259340.50	81750.00	341090.50
सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2020-21	180515.50	5000.00	185515.50
सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2021-22	207592.25	5000.00	212592.25
कुल योग :-	700858.75	1206175.00	1907033.75
	या		1907000.00

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

अनु. - 2(ग)

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाण	2000 m ² 100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	237.38 रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	142.43		142.43
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	474.76		474.76
3	घेरान कार्य	प्रति इकाई	-			
3.1	आर०सी०सी० पीलर 82 सं० 823.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	28010.84	39475.16	67486.00
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्त्रेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1407.66		1407.66
3.4	आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6530.32	5763.38	12293.70
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 967 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1566.71	0.00	1566.71
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	284.86	0.00	284.86
कुल:-			161.84	38417.58	59710.54	98128.12
B वित्तीय वर्ष 2019-20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 273.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018-19 को आधार मानते हुए						
1	पौधों का क्रय ढलाई सहित 360	10 रु० प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1801.80	0.00	1801.80
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2047.50	0.00	2047.50
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	4914.00		4914.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
कुल:-			32	8763.30	4572.13	13335.43
C वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 314.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1318.80	0.00	1318.80
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7536.00	0.00	7536.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	376.80	275.00	651.80
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	194.68	100.00	294.68
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4282.96	0.00	4282.96
कुल:-			43.66	13709.24	1036.40	14745.64

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 361.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए					
1	एक कोइनी-निकोनी	प्रति इकाई	4.2	1516.20		1516.20
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	8664.00	0.00	8664.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	433.20	275.00	708.20
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4924.04		4924.04
	कुल:-		43.04	15537.44	479.90	16017.34
E	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 415.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए					
1	एक कोइनी-निकोनी	प्रति इकाई	4.2	1743.00		1743.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	4980.00		4980.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	498.00	275.00	773.00
	कुल:-		17.4	7221.00	479.90	7700.90
F	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 477.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	5724.00		5724.00
	कुल:-		12	5724.00	0.00	5724.00
G	वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 549.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023-24 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6588.00		6588.00
	कुल:-		12	6588.00	0.00	6588.00
	सकल योग:-		322.040	95960.56	66278.87	162239.43

नोट (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमन हो सके। व्यवहारिक रूप से 10 ब्लॉक को 1 कि० मी० माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध मृमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल - विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का स्थल विवरणी

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रकबा
i	ii	iii	iv	v
1	साहेबगंज वन प्रमण्डल	बरहरवा वन प्रक्षेत्र राजमहल वन प्रक्षेत्र	गुमानी नदी	3
2	पाकुड़ वन प्रमण्डल	पाकुड़ वन प्रक्षेत्र	बॉसलोई नदी	2
3	दुमका वन प्रमण्डल	काठीकुण्ड	ब्राह्मणी नदी	4
4	सरायकेला वन प्रमण्डल			2
योग :-				11

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दशोंए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-18/18/150

दिनांक - 11-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90930	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	443,900.00 रुपये चार लाख तीरयालीस हजार नौ सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90931	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,152,500.00 रुपये ग्यारह लाख बावन हजार पाँच सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90932	PKRFOR001 MAHALING DIVISIONAL FOREST OFFICER	768,400.00 रुपये सात लाख अड़सठ हजार चार सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				

2,364,800.00

योग:

क्रमिक योग: रुपये तेइस लाख चौसठ हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. BAOMARKHANA(S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आबंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90933	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,536,700.00 रुपये पंद्रह लाख छत्तीस हजार सात सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)				
Central Scheme : NA				
5	S 19 240601796590103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	90934	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O. SEPAIKELLA-KHARSA WAN	768,400.00 रुपये सात लाख अडसठ हजार चार सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)				
Central Scheme : NA				
6	S 19 240601796590323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	90935	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	2,789,000.00 रुपये सत्ताइस लाख नवासी हजार
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)				
Central Scheme : NA				

योग:

5,094,100.00

क्रमिक योग:

रुपये चौहत्तर लाख अठावन हजार नौ सौ

7,458,900.00

SHRI SATNAM SINGH

PCCF, D. B. D. W. RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	90937	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,791,300.00 रुपये सत्रह लाख इनकानवे हजार तीन सौ
8	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	90938	PKRFOR001 MAHALING DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,194,200.00 रुपये ग्यारह लाख चौरानवे हजार दो सौ
9	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	90939	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	2,388,400.00 रुपये तेइस लाख अठयासी हजार चार सौ

5,373,900.00

योग:

12,832,800.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अटाइस लाख बत्तीस हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. (BADHARI GANTS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	90940	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,194,200.00 रुपये ग्यारह लाख चौरानवे हजार दो शे



योग:

1,194,200.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड चालीस लाख सत्ताइस हजार

14,027,000.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADHARWANS, RANCHI